

BUILDING SAFETY CERTIFICATE


S. No. 173

Dated: 29-04-2025

This is to certify that the existing building of **RAMDOOT INTERNATIONAL SCHOOL**, located at **MITTHANPARA MISHRAWALIYA, RAUZA GHAZIPUR (UP) - 233001**, consists of a ground floor, a first floor, and a second floor. The building, owned/occupied by **RAMDOOT INTERNATIONAL SCHOOL**, has complied with the building safety requirements as per the National Building Code. This compliance has been verified by the relevant officers of the Rural Engineering Department (R.E.D.) Ghazipur on DATE- 29.04.2025, in the presence of **SURENDRA SINGH YADAV (MANAGER)**.

The building is deemed fit for occupancy for classes up to XII, effective from DATE- 29.04.2025, for five years, subject to adherence to the specific conditions outlined in the 22-point checklist of the National Building Code.

Issued on 29.04.2025,

Signature with Seal: Name: AMRITA SINGHDesignation: ASSISTANT ENGINEER Name & Address of Department/Office: RAUZA GHAZIPURRURAL ENGINEERING DEPARTMENT, GHAZIPUR(Assistant Engineer & above officer of
Concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed/ issued by the Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only.

* The filled-up certificate should be in Hindi or English. If it is issued in a vernacular language, a translated notarized version in English should be uploaded along with the original vernacular certificate as a single PDF.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर

पत्रांक : 173 / ग्रा0अ0वि0 / स्कूल / पत्रा0सं0- / 2025-26 दिनांक : 29-04-2025

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजीपुर।

विषय : रामदूत इंटरनेशनल स्कूल, मिठ्ठनपारा, मिश्रवलियां, गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानको के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 18/आ0लि0/2025, दिनांक 23.04.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में रामदूत इंटरनेशनल स्कूल, मिठ्ठनपारा, मिश्रवलियां, गाजीपुर हेतु जॉचोपरान्त श्री अजय कुमार मौर्या, अवर अभियन्ता द्वारा भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानको के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : चेकलिस्ट की प्रति।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-गाजीपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : प्रबन्धक, रामदूत इंटरनेशनल स्कूल, मिठ्ठनपारा, मिश्रवलियां, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-गाजीपुर।

विद्यालय का नाम :- राजपुर इंटरनेशनल स्कूल, सिद्धनगर, मिश्रवल्लिगं, गाजीपुर।

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
-------------	--------------------------------	---------------

भवन की चेक लिस्ट

01.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजिनियर से बनवाया गया है?	हाँ
02.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
03.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
04.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ
05.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है?	हाँ
06.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	नहीं
07.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
08.	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	हाँ
09.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है, यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	नहीं
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बने हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की उंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं उंचाई 4.50 मी० है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्षा में न्यूनतम दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (1.0मी० उंचाई 2.0मी०) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

SEKED

As per

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्राण विभाग